



फार्म III {विनियम 7(1) D(d) देखें}  
From III {see Regulation 7(1) D(d)}

# भारतीय मानक ब्यूरो

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

### पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

#### LICENCE FOR THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)  
लाइसेंस संख्या- इएम/एल-5000248.4

#### Licence Number- EM/L-5000248.4

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते, लुडलू जूट और विशेषता लिंग, पोस्ट- चेंगइल , जिला- हावड़ा, पिन-711308, पश्चिम बंगाल को पुनः प्रमाणन देता है (जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञासिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञासिधारकों की ब्यूरो की सूची में अनुज्ञासि के अनुसार इसी संघ्या धारक को अधिकार एवं अनुज्ञासि सूचीबद्ध किया जाए। IS/ISO 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति के अधीन उक्त किए गये पते पर केवल अनुज्ञासिधारक धारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby recertifies to **Ludlow Jute & Specialities Ltd., P.O – Chengail, Dist – Howrah, Pin – 711308, West Bengal** (hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensee of Environmental Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the **Environmental Management Systems** in accordance with **IS/ISO 14001:2015**

अनुज्ञासि उक्त अधिनियम और उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर पुनः प्रमाणन दिया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञासियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञासिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

The licence is recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations

यह अनुज्ञासि तारीख 08 फरवरी 2024 से 04 अगस्त 2026 तक विधिमान्य रहेगा और विनियमों में यथाविहित पुनः प्रमाणन किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 08 February 2024 to 04 August 2026 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2024 के फरवरी माह के

Signed, Sealed and Dated this

8<sup>th</sup>

दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

February, Two Thousand and Twenty Four

D. Chakrabarti

उप महानिदेशक

Deputy Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

#### भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS

एन एस आई सी प्रबन (आठवीं मंजिल), प्लॉट नंबर 7/7, 7/8,  
ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - V, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091  
NSIC Building (8th Floor) at Plot No. 7/7, 7/8, 91  
Block - CP, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700091





## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

लाइसेंस संख्या- ईएम/एल - 5000248.4 की अनुसूची  
Schedule to licence Number- EM/L-5000248.4

जारी : लुडलो जूट और विशेषता लि०,  
पोस्ट- चेंगइल , जिला- हावड़ा,  
पिन-711308, पश्चिम बंगाल

**Issued to:** Ludlow Jute & Specialities Ltd.,  
P.O - Chengail, Dist - Howrah,  
Pin - 711308, West Bengal

### अनुसूची SCHEDULE

उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया हेतु फर्म को अनुज्ञासि पुनः प्रमाणन दिया गया है :  
पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन

Products/services/processes with respect to which the firm has been  
recertified the licence for  
Environmental Management Systems Certification

"All activities for Manufacture and supply of Jute Yarn (also  
blended/dyed/bleached), Sacking, Hessian fabrics/bag (also  
blended/dyed/bleached), including Hydrocarbon free products, Geo-textiles,  
Soil Saver, Jute Felt, Webbing Tape, Jute and cotton shopping and fashion bag  
and home furnishing product"

At: Works - P.O : Chengail, Howrah- 711308

D. Chakrabarti

उप महानिदेशक


Deputy Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

### भारतीय मानक ब्यूरो/BUREAU OF INDIAN STANDARDS

एन एस आई सी भवन (आठवीं फॉर्ड), प्लॉट नंबर 7/7, 7/8,  
ब्लॉक - सोयी, सेक्टर - V, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091  
NSIC Building (8th Floor) at Plot No. 7/7, 7/8,  
Block - CP, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700091



फर्म III {विनियम 7(1) D(d) देखें}  
From III (see Regulation 7(1) D(d))

MSC-F6.4-25



**भारतीय मानक ब्यूरो**

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आरत सरकार

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Government of India

हमारा सं. ईआरओ/ईएम/एल-5000248.4

Our Ref: ERO/EM/L-5000248.4

दिनांक-

Date: 13/02/2024

विषय :आईएस/आईएसओ 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति लाइसेंस सं. ईआरओ/ईएम/एल-5000248.4 की नवीकरण

Subject: Re-certification of Environmental Management System Certification Licence No.  
ERO/EM/L-5000248.4 as per IS/ISO: 14001:2015

Ludlow Jute & Specialities Ltd.

P.O - Chengail

Dist - Howrah,

Pin - 711308

West Bengal

Kind Atten: Sh Ujjwal Ghosh (G.M) & IMSCO

महोदया/Dear Sir,

1. आपके आवेदन के संदर्भ में हमें आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है की आईएस/आईएसओ 14001:2015 के लिए आपको पर्यावरण प्रबंध पद्धति नवीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस लाइसेंस का विषय क्षेत्र इस प्रकार है:  
With reference to your application, we are pleased to inform you that it has been decided to re-certify your Environmental Management Systems Certification Licence as per IS/ISO 14001:2015. The scope of the licence is as follows:

**"All activities for Manufacture and supply of Jute Yarn (also blended/dyed/bleached), Sacking, Hessian fabrics/bag (also blended/dyed/bleached), including Hydrocarbon free products, Geotextiles, Soil Saver, Jute Felt, Webbing Tape, Jute and cotton shopping and fashion bag and home furnishing product"**

**At: Works - P.O : Chengail, Howrah- 711308**

2. इस लाइसेंस, को दी गयी संख्या ईआरओ/ईएम/एल-5000248.4.3 है जो 08 फरवरी 2024 से 04 अगस्त 2026 तक नवीकृत किया गया है। भविष्य में आप जो भी पत्राचार करें, उसमें लाइसेंस संख्या का उल्लेख होना चाहिए।  
The number assigned to the licence is ERO/EM/L-5000248.4.3 which has been re-certified from 08 February 2024 to 04 August 2026. The licence number should invariably be referred to in all your future correspondence.

3. यह लाइसेंस जो भारतीय अधिनियम, 2016 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों व विनियमों के अंतर्गत के अधीन नवीकरण करने योग्य है, का निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया गया है:  
The licence, which is re-certifiable subject to the "BIS Act 2016 and Rules & Regulations there under" has been re-certified subject to the following conditions:

- क) निरंतरता के आधार पर सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे व जब सतत: अनुपालन के सत्यापन की अपेक्षा होगी तब भामाब्यूरो द्वारा निगरानी की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।  
shall meet all the requirements on a continuous basis and facilitate the surveillance by BIS, when required to verify continued compliance;
- ख) प्रमाण पत्र, मानक मुहर का उपयोग और प्रमाणन के दावे वाले विवरण भामाब्यूरो के नियम व उनसे प्राप्त अनुदेशों के अनुसार करेंगे।  
shall make use of the certificate, standard mark, and statements claiming certifications in accordance with rules and instructions from BIS;
- ग) लाइसेंस संबंधी सेवाओं और मानक मुहर के उपयोग के लिए भामाब्यूरो को देय मूल्य तत्परता से देंगे।  
shall pay the fees due to BIS promptly for the licensing services and use of the standard mark;
- घ) किसी भी शिकायत के प्रहस्तन व रिकॉर्ड करने की क्रियाविधि का प्रचालन व रख-रखाव करेंगे तथा इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रचालित प्रबंध पद्धति के विरुद्ध किसी शिकायत की रिपोर्ट भामाब्यूरो को करेंगे तथा इस प्रकार की शिकायतों के अन्वेषन व समाधान में भामाब्यूरो का पूर्णतः सहयोग करेंगे।  
shall operate and maintain procedure for handling and recording any complaints and shall report complaints against the management systems operated under this licence to BIS and cooperate fully with BIS in the investigation and the resolution of such complaint

4. पावरी/डिमांड ड्राफ्ट सं EROOOT2023002263 है दिनांक 03-11-2023 के द्वारा रु. 219480.00 (क्यूएम + ईएम) (ऑडिट शुल्क + लाइसेंस शुल्क) (18 प्रतिशत) वस्तु एवं सेवा कर सहित। आपके द्वारा धारित सभी तीन लाइसेंसधारकों के लिए यह शुल्क प्रचालन अवधि के वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए है। निगरानी ऑडिट के प्रभार इसके अलावा होंगे। जिनकी सूचना आपको ये ऑडिट जब होंगे, तब दी जाएगी।  
Licence fee of Rs. 219480.00 (QM+EM) (Audit fee + licence fee) Goods & Service Tax(18%) for all the three licencees held by you has been received from you through receipt/DD no EROOOT2023002263 dated 03-11-2024 and this fee is for the period of maximum three years of the operative period. Charges towards surveillance audit will be extra about which intimation will be sent to you as and when these audits are planned.

5. परवर्ती नवीकरण के लिए, नवीकरण के समय लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।  
For the subsequent re-certification, licence fee is payable in advance at the time of renewal.
6. जिस अवधि में आपको अथवा ब्यूरो द्वारा लाइसेंस का प्रचालन जारी नहीं रहता, उस अवधि के लिए भी लाइसेंस शुल्क देय है।  
The licence fee is payable by you even for the period during which operation of the licence remains discontinued by you or by the Bureau.
7. कृपया हमें अपने पत्रशीर्ष पर अनुलग्न। में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अंडर्टेंकिंग की दूसरी प्रति भेजें। फर्म के प्राधिकृत वयक्ति द्वारा अंडर्टेंकिंग हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अंडर्टेंकिंग पर हस्ताक्षर करने वाले वयक्ति का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से अभिलिखित होना चाहिए।  
Please send us an undertaking in duplicate as per the Performa enclosed in Annexure I,

on your letter head. The Undertaking should be signed by the authorized person of the firm. The name and designation of the person signing the undertaking should be recorded legibly.

8. लाइसेंस प्रलेख इसके साथ संलग्न है।

Licence document is enclosed herewith.

9. यह लाइसेंस भारतीय मानक व्यूरो (अनुरूपता आकलन) संशोधन विनियम, 2018 के अंतर्गत नवीकृत किया जा रहा है और आपका ध्यान अन्य बातों के अलावा विशेषतः विनियम स्कीम III के अनुच्छेद 7 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें आपके लिए बाध्यताओं का विवरण दिया गया है।

The licence is re-certified under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 and your attention is particularly drawn among other things to the paragraph 7 of scheme III of the regulation which details your obligations.

10. आपसे अनुरोध है कि आप हमारे एमएससीओ(ई) को अपनी प्रबंध पद्धति। मैनुअल में कोई भी परिवर्तन करने पर तुरंत सूचित करें। हमारे एमएससीओ(ई) यह निर्णय करेंगे कि क्या इन परिवर्तनों का सत्यापन किया जाना है, जो अगले निगरानी/विशेष दौरे/नवीकरण दौरे में किया जाए या तो एमएससीओ(ई) अथवा टीम लीडर/ऑफिटर अपने दौरे के दौरान इन परिवर्तनों को प्राधिकृत करेंगे।

You are requested to intimate our MSCO (E) immediately whenever you make any changes in your Management System/Manual. Our MSCO (E) will decide whether the changes require any verification which would be undertaken subsequently during next surveillance/special visit/renewal audit. The changes will be authorized either by MSCO (E) or team leader/auditor during their visits.

धन्यवाद/ Thanking you,

भवदीय,

Yours faithfully,

ए. के. डास  
A.K.Das

वैज्ञानिक – एफ/वरिष्ठ निदेशक एवं एमएससीओ(ई)  
Scientist – F/Senior Director & MSCO(E)

**भारतीय मानक व्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

एन एस आई सी भवन (आठवीं मंजिल), प्लॉट नंबर 7/7, 7/8,  
ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - V, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091  
NSIC Building (8th Floor) at Plot No. 7/7, 7/8,  
Block - CP, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700091